न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

PBR/अपील/धार/भू.रा/2017/3357

(4)

यतिन्द्र पिता संतोष नाथ योगी जाति नाथ आयु 22 वर्ष, धंधा पूजा अर्चना निवासी राजेन्द्र मार्ग धार तहसील व जिला धार म0प्र0..अपीलांट

विरूद्ध

1. सुरेन्द्र वैद्य पिता रामचन्द्र वैद्य जाति ब्राम्हण आयु 50 वर्ष, धंधा व्यापार एवं डॉक्टरी निवासी आनंद चौपाटी धार तहसील व जिला धार म0प्र0

2. मध्यप्रदेश शासन..रेस्पांडेन्टगण,

अपील धारा 44 (2) म0प्र0 भू0रा0सं0 के अंतर्गत

माननीय न्यायालय,

सेवा में प्रार्थी अपीलांट की ओर से उपरोक्त अपील रेस्पांडेन्टगण के विरूद्ध निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है–

1. यह कि प्रार्थी अपीलांट धार का मूल निवासी होकर पीढी दर पीढी बाप दादाओं के समय से गांव रतनागरा तहसील व जिला धार के भगवान कालभैरव मंदिर की पूजा अर्चना करता चला आ रहा है व आज भी पूजा अर्चना कायम है, कालभैरव मंदिर के पूजारी पद के लिये रेंस्पांडेन्ट क्रमांक 1 सुरेन्द्र वैद्य द्वारा एक आवेदनपत्र अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व धार के समक्ष पेश किया गया जो प्रकरण क्रमांक 08/बी–121/ 2008–09 पर दर्ज होकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक

..................2

19/08/2014 को रेस्पांडेन्ट कमांक 1 का आवेदनपत्र स्वीकार करने एवं अपीलांट की आपत्ति निरस्त करने के आदेश से दुखी एवं असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय धार के समक्ष एक अपील पेश की गई जो अपील कमांक 1/2014-15 पर दर्ज होकर दिनांक 06/10/2015 को अपीलांट की अपील निरस्त की गई जिसके खिलाफ अपीलांट द्वारा न्यायालय श्रीमान कमीश्नर महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष पेश की गई जो अपील कमांक 10/2015-16 पर दर्ज होकर दिनांक 08/08/2017 को अपीलांट की अपील स्वीकार की गई, लेकिन अपीलांट को मंदिर का पुजारी नियुक्त नही किये जाने का आदेश दिया गया जिससे असंतुष्ट एवं दुखी होकर अपीलांट के द्वारा अंदर अवधि उचित न्याय शुल्क पर उपरोक्त अपील निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/अपील/धार/भू.रा./2017/3357 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–10–2017	अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–8–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा पुजारी की नियुक्ति से संबंधित अपील में आदेश पारित किया गया है । पुजारी की नियुक्ति के संबंध में पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, अतः प्रथमदृष्टया इस अपील के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपील अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	